न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
पीठासीन अधिकारी   अशोक असीजा आर ए एस
प्रकरण संख्या 10 / 2021

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़।
प्रार्थी

बनाम

गणेश सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी जैतपुरा तह0 लूणकरणसर जिला बीकानेर
अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट
उपस्थित - 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री नितिन छाबड़ा दलीप सारस्वत अभिभाषक अप्रार्थी।

—निर्णय:—

दिनांक:— 21.06.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के साथ पुलिस थाना परिसर पल्लू में पेट्रोल-डीजल की अवैध भण्डारण एवं परिवहन करते डिटेन की गई पिकअप गाड़ी के संबंध में आगामी कार्यवाही करने हेतु उपस्थित हुए। मौके पर श्री अमरसिंह थानाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.06.2021 को गश्त के दौरान ग्राम भादला के पास नोहर की तरफ से आ रही पिकअप नम्बर RJ-07-GD-3170 के वाहन चालक गणेश सिंह के पास आवश्यक कागजात नहीं होने के कारण मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज की जाकर पुलिस थाना में सुरक्षा की दृष्टि से खड़ी की गई है। चूंकि उक्त पिकअप में पेट्रोल- डीजल भरा होने एवं पेट्रोल-डीजल की अवैध परिवहन एवं भण्डारण की आशंका पर आगामी कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया। पुलिस थाना, पल्लू द्वारा डिटेन की हुई गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर श्री नन्दलाल बाजिया नायब तहसीलदार एवं कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक रावतसर श्री अमरसिंह थानाप्रभारी पुलिस थाना पल्लू एवं वाहन मालिकों / चालकों और अन्य गवाहों की उपस्थिति में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पिकअप नम्बर RJ-07-GD-3170 में 8 प्लास्टिक के ड्रमों एवं 2 प्लास्टिक कैनियों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया, मुताबिक वाहन चालक / मालिक गणेश सिंह उक्त 8 ड्रमों में डीजल व 2 प्लास्टिक कैनियों में पेट्रोल भरा हुआ है जिसे हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प से खरीदा गया है। उपस्थित गवाहों के समक्ष नाप करने पर प्रति ड्रम 220 लीटर कुल 1760 लीटर डीजल एवं प्रति कैनी 50 लीटर कुल 100 लीटर पेट्रोल का भण्डारण उक्त पिकअप में पाया गया। तलाशी के दौरान पिकअप नम्बर RJ-07-GD-3170 के पीछे की साईड को पेट्रोल-डीजल के भण्डारण एवं परिवहन के लिए मोडिफाई करवाना पाया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त पिकअप का उपयोग लगातार पेट्रोल-डीजल खरीद कर स्थानीय क्षेत्र में बिक्री के लिए किया जाता है। अतः वाहन चालक गणेश सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी जैतपुरा तह0 लूणकरणसर जिला बीकानेर द्वारा बिना किसी परमिट, अनुज्ञापत्र पेट्रोल-डीजल का अवैध परिवहन, भण्डारण एवं कारोबार में संलिप्तता पाये जाने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं सपठित मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त पिकअप नम्बर RJ-07-GD-3170 मय 1760 लीटर डीजल मय 8 ड्रम एवं 100 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी सहित पिकअप को जब्त श्री मुके... मजिस्ट्रेट

हुए आनन्दी लाल जाति मीणा हाल हैड कांस्टेबल पुलिस थाना ... को सुपुर्द किया गया। चूंकि मनोज सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ... तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा ... का उल्लंघन है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य ... जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त पिकअप नम्बर RJ-07-GD-3170 मय 1760 लीटर डीजल मय 8 ड्रम एवं 100 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर इसे रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल व पेट्रोल को ज्वलनशील पदार्थ होने से अग्निकाण्ड की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 11.06.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि अप्रार्थी ने जिला रसद अधिकारी को तत्समय कार्यवाही मौखिक रूप से बता दिया था कि अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य अपने घरू उपयोग हेतु एवं निजी साधनों तथा ट्रैक्टर (कृषि भूमि में प्रयुक्त) ट्रक, बोलेरो, कैम्पर इत्यादि में ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग करते है। अप्रार्थी ने डीजल खरीद के मूल बिल व वाहनों के मूल दस्तावेजों वरवक्त जब्ती प्रस्तुत कर दिये थे। केन्द्र सरकार द्वारा 2005 में जारी अधिसूचना के अंतर्गत एक व्यक्ति एक समय में बिना अनुज्ञप्ति या किसी आदेश के 2500 लीटर अपने कब्जे में रख सकता है, जिसका स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक नहीं है। वरवक्त जब्ती अप्रार्थी न तो किसी व्यक्ति से उपरोक्त डीजल बेच रहा था और ना ही कोई व्यक्ति वरवक्त जब्ती डीजल खरीद रहा था। अप्रार्थी बोलेरो कैम्पर, ट्रैक्टर व ट्रक ऑफन बॉडी रखता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्त डीजल व पेट्रोल को अपने साधनों में डालने के लिए उपयोग व उपभोग करता है। सुपुर्दगी प्रार्थना में अंकित किया कि वाहन अप्रार्थी व उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ के पास वाहन के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। वाहन के उचित रख रखाव के अभाव में रंग–रोगन, टायर–ट्यूब, इंजन खराब होने का अंदेशा है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, को खारिज कर अप्रार्थी की जब्त पिकअप नम्बर RJ-07-GD-3170 मय 1760 लीटर डीजल मय 8 ड्रम एवं 100 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र व जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य अपने घरू उपयोग हेतु एवं निजी साधनों तथा ट्रैक्टर (कृषि भूमि में प्रयुक्त) ट्रक, बोलेरो, कैम्पर इत्यादि में ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग करते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 2005 में जारी अधिसूचना के अंतर्गत एक व्यक्ति एक समय में बिना अनुज्ञप्ति या किसी आदेश के 2500 लीटर अपने कब्जे में रख सकता है, जिसका स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक नहीं है। वरवक्त जब्ती अप्रार्थी न तो

मजिस्ट्रेट

किसी व्यक्ति से उपरोक्त डीजल बेच रहा था और ना ही कोई व्यक्ति [illegible] जब्ती डीजल खरीद रहा था। अप्रार्थी बीपीसी डीलर टैंकर से ट्रक [illegible] सकता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्त डीजल व पेट्रोल को अन्य वाहनों में डालने के लिए [illegible] करता है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ के पास वाहन के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। वाहन के उचित रख रखाव के अभाव में [illegible] की अंदेशा है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल व पेट्रोल अप्रार्थी को [illegible] अप्रार्थी [illegible] के विरूद्ध कार्यवाही शीघ्र करवाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई बिल प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ना ही तलाशी के दौरान यह सिद्ध किया कि उसके पास खुद की कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने तलाशी के वक्त कोई [illegible] के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज तथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु [illegible] किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर 1700 लीटर डीजल मय 6 ड्रम एवं 100 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिनांक 11.06.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा पिकअप नम्बर RJ-07-GD-3170 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरूद्ध दुबारा पुनरावर्ती नहीं हो कि चेतावनी के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा पिकअप नम्बर RJ-07-GD-3170 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा पिकअप नम्बर RJ-07-GD-3170 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक असीजा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़